




# भारत सरकार गृह मंत्रालय



# उत्कृष्ट पुलिस थानें 2024



**TRANSRURAL**



अमित शाह



संदेश

गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री  
भारत सरकार

अमृत काल की कर्तव्यपरायण भूमिका को चरितार्थ करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुलिसिंग में सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' के तहत पुलिस बलों को अत्याधुनिक तकनीकी साधनों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो रही है। मोदी सरकार द्वारा स्थापित पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन और तीन नए आपराधिक न्याय कानूनों का कार्यान्वयन एक नए युग का सूत्रपात करता है। ICJS और CCTNS जैसे अन्य डाटा-बेस के माध्यम से पुलिस बल को न्याय प्रणाली में गति और पारदर्शिता लाने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है।

'उत्कृष्ट पुलिस थाने - 2024' की रिपोर्ट का प्रकाशन अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस व्यवस्था न केवल आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि नागरिकों के विश्वास को भी सुदृढ़ करती है। अमृत काल के इस दौर में, भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और प्रभावी पुलिसिंग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस रिपोर्ट में देश भर के उन अनुकरणीय पुलिस थानों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने अपराध निवारण, सामुदायिक सहभागिता, तकनीकी संसाधनों का उपयोग, और बुनियादी ढाँचे में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। इस वर्ष, पुलिस थानों की कार्यकुशलता, जाँच में दक्षता, निष्पादन मानदंडों और रिकॉर्ड आधारित मूल्यांकन के आधार पर सर्वेक्षण किया गया, जिससे पुलिस थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। यह रिपोर्ट उत्कृष्टता और सेवा के प्रति पुलिस बलों की प्रतिबद्धता की प्रतीक है।

मैं सभी राज्य सरकारों और इस सर्वेक्षण से जुड़े सभी हितधारकों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही, मैं सर्वोत्तम रैंक वाले पुलिस थानों को बधाई देते हुए, देश के सभी पुलिस थानों को अपनी रैंक में सुधार के निरंतर प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट सभी पुलिस थानों को उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करेगी, जिससे हम एक सुरक्षित और संरक्षित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

(अमित शाह)

कार्यालय : गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 23092462, 23094686, फ़ैक्स : 23094221

ई मेल : hm@nic.in

नित्यानन्द राय  
NITYANAND RAI



गृह राज्य मंत्री  
भारत सरकार  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001  
MINISTER OF STATE FOR  
HOME AFFAIRS  
GOVERNMENT OF INDIA  
NORTH BLOCK, NEW DELHI - 110001



## संदेश

पुलिसिंग प्रणाली आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। देश में पुरातन आपराधिक कानूनों का प्रतिस्थापन औपनिवेशिक मानसिकता को हटाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। नए आपराधिक कानूनों के साथ, पुलिस विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए खुद को एक आधुनिक और विश्व स्तरीय पुलिस बल में बदल रही है।

पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग देश के कुछ सबसे अच्छे पुलिस थानों की सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर कर पुलिस के कामकाज में उन्नत सुधार लाने का गृह मंत्रालय का एक प्रयास है।

पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग के आकलन के लिए भारत के 17,000 से अधिक पुलिस थानों से कुल 76 पुलिस थानों का चयन किया गया था। प्रदर्शन मापदंडों के एक व्यापक सेट के आधार पर, यह वार्षिक सर्वेक्षण देश में एक विश्वसनीय, उत्तरदायी और जिम्मेदार पुलिसिंग प्रणाली के निर्माण में सहायता करता है, जो 'दंड से न्याय' का मार्ग प्रशस्त करता है।

मैं पुलिस थानों की इस वार्षिक रैंकिंग में सहयोग के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सराहना करता हूँ।

मैं शीर्ष रैंक वाले पुलिस स्टेशन के सभी कर्मियों को राष्ट्र की सेवा के प्रति उनके प्रदर्शन और समर्पण के लिए बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये रैंकिंग देश भर के पुलिस स्टेशनों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगी, जो राष्ट्र की विकास यात्रा में नित नए आयाम प्रस्तुत करेंगे।

(नित्यानन्द राय)

नई दिल्ली।  
10 नवम्बर, 2024



गोविंद मोहन, भा.प्र.से.  
GOVIND MOHAN, IAS



गृह सचिव  
Home Secretary  
भारत सरकार  
Government of India  
नॉर्थ ब्लॉक / North Block  
नई दिल्ली / New Delhi



## संदेश

भारत में तीन नए आपराधिक कानूनों, नामतः भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, ने आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बबलाव लाया है। इसने त्वरित और कुशल न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुलिसिंग के प्रति एक न्याय-उन्मुख और आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान किया है। इस संबंध में देश के पुलिस बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

2. देश भर के पुलिस थानों की गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रैंकिंग न केवल हमारे पुलिस कर्मियों की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता तथा उनके समर्पण की पुष्टि करती है, बल्कि पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर नए और प्रगतिशील बेंचमार्क स्थापित करने का भी काम करती है।

3. मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि देश भर के पुलिस थानों ने इस वर्ष के सर्वेक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी रैंकिंग के लिए पुलिस थानों के सर्वेक्षण के सुचारू संचालन में उनके निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

4. मैं इस अवसर पर शीर्ष रैंक वाले पुलिस थानों के अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। मेरा मानना है कि यह रिपोर्ट पुलिस थानों को आधुनिक, सुलभ और नागरिक अनुकूल स्थानों में बदलने की दिशा में उनके प्रयासों में तेजी लाने के लिए देश भर के पुलिस थानों को प्रेरित करने का काम करेगी, जो वास्तव में नए आपराधिक कानूनों की भावना - 'नागरिक पहले, गरिमा पहले और न्याय पहले'- को मूर्त रूप देते हैं।

*गोविंद मोहन*

(गोविंद मोहन)

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 08.11.2024



## विषय सूची

1. परिचय _____	7
2. चयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया _____	8
चयन की प्रक्रिया _____	8
मूल्यांकन की प्रक्रिया _____	10
भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन _____	10
भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन _____	11
3. मुख्य अवलोकन _____	14
भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन _____	14
भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन _____	21
नागरिकों की प्रतिक्रिया _____	24
4. उत्कृष्ट पुलिस थानें _____	30
अनुलग्नक _____	38

## 1. परिचय

सार्वजनिक संस्थाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन सामाजिक शासन को सुदृढ़ करने के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहा है। प्रभावी कानून-व्यवस्था नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है, जो समुदाय के विकास और समग्र कल्याण के लिए अनिवार्य है। पुलिस स्टेशन, जो जनता और कानून-व्यवस्था के बीच मुख्य संपर्क बिंदु होते हैं, पुलिस संगठनों की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि ये स्टेशन न केवल सुलभ और अनुकूल हों, बल्कि आधुनिक उपकरणों से लैस और सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप भी हों, ताकि बेहतर सेवा सुनिश्चित की जा सके।

बदलते जन-अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के बीच, विश्वभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी दक्षता को मापने और सुधारने के लिए संरचित प्रदर्शन मानदंडों और निरंतर सुधार रणनीतियों को अपना रही हैं। इसी दिशा में, भारत सरकार का गृह मंत्रालय (एमएचए) हर साल देशभर के पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन और रैंकिंग करता है। इस पहल का उद्देश्य न केवल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान और सम्मान करना है, बल्कि पुलिस बल के भीतर निरंतर विकास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना भी है। यह प्रयास पुलिसिंग मानकों को ऊंचा उठाने, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता के बीच विश्वास का माहौल बनाने के लिए मापदंड निर्धारित करता है।

मूल्यांकन की यह प्रक्रिया गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा संचालित की जाती है, जो पूरे देश से संभावित सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को चुनकर प्रारंभ होती है, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद चयनित स्टेशनों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है, जो विभिन्न प्रदर्शन मानकों पर आधारित होता है। इन मानकों में अपराध रोकथाम, जांच और मामले के समाधान की दक्षता, अपराध का पता लगाने की क्षमता, समुदाय के साथ संवाद, और समग्र कानून-व्यवस्था का प्रबंधन शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और व्यावसायिक मालिकों जैसे नियमित सेवा उपयोगकर्ताओं के अनुभव और राय को भी ध्यान में रखा जाता है, जो पुलिस स्टेशनों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

वर्ष 2024 के लिए, गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग ने ट्रांसरूल एग्री कंसल्टिंग सर्विसेज (ट्रांसरूल) को स्थापित प्रक्रियाओं के तहत देश के शीर्ष पुलिस स्टेशनों की पहचान, मूल्यांकन, और रैंकिंग की जिम्मेदारी सौंपी। ट्रांसरूल ने इस जिम्मेदारी को व्यापक सर्वेक्षण, डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के माध्यम से पूरा किया। यह गहन प्रक्रिया न केवल उत्कृष्ट पुलिस स्टेशनों की पहचान करती है, बल्कि देशभर में पुलिसिंग मानकों को बेहतर बनाने के लिए नए मापदंड भी निर्धारित करती है।

## 2. चयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया

### चयन की प्रक्रिया

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए "डाटा ऑन पुलिस ऑरगेनाइजेशन" के 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 17,932 पुलिस थाने हैं। इस मूल्यांकन का भौगोलिक दायरा इन्हीं स्टेशनों को कवर करेगा, जिनमें से 9249 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, 5240 शहरी क्षेत्रों में और 3443 विशेष उद्देश्य पुलिस थाने हैं। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कई पुलिस थाने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे महिला पुलिस थाना, साइबर सेल, और वंचित वर्गों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रभाग। इन विशेष इकाइयों का मूल्यांकन भी सामान्य पुलिस थानों के समान मानकों पर किया गया है। चूंकि कार्यभार का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले थानों की रैंकिंग करने का था, अतः सैम्पलिंग के स्थान पर मूल्यांकन के लिये थानों के चयन करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गयी है। तदनुसार, सभी पुलिस थानों के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पास उपलब्ध सूचना का उपयोग कर थानों का चयन किया गया एवं थानों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदंडों और भारों के आधार पर प्रत्येक राज्य से थानों का चयन किया गया है। मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानदंडों और भारों को नीचे दर्शाया गया है।

चयन का मानदंड	अधिकतम अंक	भार	
महिलाओं के खिलाफ अपराध	10	ए-70%	बी -30%
कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध	10	ए -60%	बी -40%
संपत्ति से सम्बंधित अपराध	10	ए-70%	बी -30%
गुमशुदा व्यक्तियों के मामले	10	सी-100%	
अज्ञात पाए गए व्यक्तियों के मामले	10	सी-100%	
अज्ञात शवों के मामले	10	सी-100%	

ए- दर्ज की गई कुल प्राथमिकी में से आरोप पत्रिकरण का प्रतिशत  
 बी- प्राथमिकी का प्रतिशत जिसके लिए 60 दिनों के भीतर आरोप पत्रिकरण की गई  
 सी- कुल मामलों में से वैसे मामलों का प्रतिशत जिनमे CCTNS पर तस्वीर डाली गई हो

प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश को देश के पुलिस थानों की वार्षिक मूल्यांकन में स्थान पाने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस थानों को नीचे दिए गए मापदंडों के आधार पर चुना जाता है:

- 750 या 750 से अधिक पुलिस थानों वाला राज्य: 3 थानों का चयन
- 750 से कम पुलिस थानों वाले राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली: 2 थानों का चयन
- केंद्र शासित प्रदेश: प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1 थाना का चयन



वर्ष 2024 के मूल्यांकन के लिए चयनित थानों की संख्या निम्नलिखित है:

क्रं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चयनित थानों की संख्या
1	तमिलनाडु	3
2	उत्तर प्रदेश	3
3	महाराष्ट्र	3
4	मध्य प्रदेश	3
5	बिहार	3
6	कर्नाटक	3
7	आंध्र प्रदेश	3
8	राजस्थान	3
9	तेलंगाना	3
10	गुजरात	3
11	झारखण्ड	3*
12	पश्चिम बंगाल	2
13	ओडिशा	2
14	केरल	2
15	छत्तीसगढ़	2
16	पंजाब	2
17	हरियाणा	2
18	असम	2
19	असम	2
20	उत्तराखंड	2
21	हिमाचल प्रदेश	2
22	अरुणाचल प्रदेश	2
23	मणिपुर	2
24	नागालैण्ड	2
25	त्रिपुरा	2
26	मेघालय	2
27	मिजोरम	2
28	गोवा	2
29	सिक्किम	2
30	जम्मू एवं कश्मीर	1
31	पुडुचेरी	1
32	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
33	चंडीगढ़	1
34	लक्षद्वीप	1
35	दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव	1
36	लद्दाख	1
	कुल	76

\*स्कोर में समानता के कारण झारखण्ड में 3 पुलिस स्टेशनों को चयनित किया गया था।

जैसा कि दर्शाया गया है, 17932 पुलिस थानों में से वर्ष 2024 के मूल्यांकन के लिए 76 पुलिस थानों को चुना गया।




## मूल्यांकन की प्रक्रिया

थानों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है।

**भाग -1** थानों के वार्षिक कार्यकाल के अभिलेख पर आधारित है, जिसका भार कुल अंकों का 80 प्रतिशत है।

**भाग -2** में सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन शामिल है, जिसे 20 प्रतिशत भार दिया गया है। भाग-2 के अंकों का पुनः दो हिस्सों में विभाजन किया गया है। पहला हिस्सा जो कि आधारभूत संरचना और नागरिकों के थाने से जुड़े कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित है, इसे 80 प्रतिशत भार दिया गया है जबकि दूसरा हिस्सा नागरिकों, विशेष तौर पर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निवासी और दुकानदार/व्यवसायियों की प्रतिपुष्टि से सम्बंधित है, और इसे 20 प्रतिशत भार दिया गया है।



### भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन

इस चरण के दौरान चुने गए पुलिस थानों का, बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा अपनाई गई प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। बी.पी.आर. एण्ड डी. की मूल्यांकन प्रणाली में विशिष्ट मानदंडों पर उत्तम प्रदर्शन के लिए सकारात्मक अंकों का प्रावधान है जबकि कुछ मानदंडों पर खरा न उतरने पर नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। मूल्यांकन के लिए 19 प्रमुख शीर्षों को सूचीबद्ध कर इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 'अपराध आधारित शीर्षों को शीर्ष क्रम 1 से शीर्ष क्रम 8 में रखा गया है और प्रदर्शन पर आधारित शीर्षों को शीर्ष 9 से शीर्ष 19 तक रखा गया है।

**अपराध आधारित (शीर्ष 1-8 )**

- अपराध की रोकथाम और सक्रिय उपाय
- क्रियान्वयन
- मामलों का निपटान
- कानून एवं व्यवस्था
- छोटे अधिनियम जैसे आरपीजीओ, उत्पाद शुल्क, एनडीपीएस और शस्त्र अधिनियम
- केस अधिकारी योजना के तहत मामले
- एसीबी द्वारा पकड़े गए अधिकारी
- निलंबन

**प्रदर्शन आधारित (शीर्ष 9-19)**

- महिलाओं से जुड़े अपराध के खिलाफ कार्रवाई
- पुराने मामलों का निपटारा
- पुलिस अधिकारियों का व्यवहार
- कमजोर वर्ग से जुड़े अपराध के खिलाफ कार्रवाई
- सत्यापन
- सड़क सुरक्षा
- दोषसिद्धि
- मालखाना
- लम्बित मामलों का स्तर
- सामुदायिक बैठक
- जाली प्रविष्टि

**शीर्ष 1-8 का प्राप्तांक (S1):** बी.पी.आर. एण्ड डी. के प्रारूप अनुसार प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत मामलों की संख्या को नामित अंकों से गुणा करके प्राप्त किए गए कुल अंकों की गणना की गई है। प्रत्येक शीर्ष को नीचे दर्शाए गए सीमा अनुसार रैखिक रूप से रूपांतरित किया गया है।

अपराध आधारित प्रमुख	प्राप्तांक की सीमा
लघु अधिनियम	0 से 20
निवारक कार्रवाई	0 से 20
क्रियान्वयन	0 से 10
पुराने मामलों का निपटान	-10 से 20
केस अधिकारी योजना के तहत मामले	-10 से 20
नियम और कानून	-20 से 0
एसीबी द्वारा ट्रैप	-50 से 0
निलंबन	-10 से 0

**शीर्ष 9-19 का प्राप्तांक (S2):** मूल्यांकन के इस चरण में भी बी.पी.आर. एण्ड डी. के प्रारूप अनुसार प्रत्येक पुलिस थानों के लिए प्रत्येक उप-शीर्ष (9-19) के अंतर्गत मामलों के आधार पर अंक देकर कुल अंकों की गणना की गई है।

**भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन**

पुलिस स्टेशन के बुनियादी ढांचे, नागरिकों की थाना से जुड़ी सेवा लेने में सहजता और थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निवासी और दुकानदार/ व्यवसायियों की प्रतिपुष्टि का आकलन करने के लिए इस चरण में सर्वेक्षण किया गया है।

**क) पुलिस थानों का बुनियादी ढांचा और पुलिस कर्मियों की सुगम्य उपलब्धता-** इस मापदंड में पुलिस थानों की इमारत, कमरे, सुविधाएं, फर्नीचर और उनके समग्र रखरखाव, पुलिस कर्मियों के अनुशासन और नागरिकों का थाने से जुड़ी सेवा लेने में सहजता शामिल है।



पुलिस थाना एक सार्वजनिक स्थान है, जहां लोग विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और अत्यावश्यकताओं के लिए आते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पुलिस स्टेशन में बुनियादी ढांचा सभी आगंतुकों के लिए पर्याप्त रूप से मौजूद होना चाहिए और साथ ही पर्याप्त स्वच्छता भी होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन भवन वह स्थान भी है जहां पुलिस कर्मियों का काफी समय व्यतीत होता है और इसलिए कर्मियों के लिए लंबे समय तक काम करने के लिए स्वच्छ कार्यालय स्थान, भोजनालय और विश्रामालय की उचित सुविधाएं आवश्यक हैं। एक विस्तृत मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित मानकों पर पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन किया गया:

- क) थानों के भवन की स्थिति
- ख) कर्मियों का अनुशासन और नागरिकों के प्रति सुगम्य उपलब्धता
- ग) कागज़ी अभिलेखों का भंडारण
- घ) भोजनालय एवं विश्रामालय की सुविधा
- ङ) खरीदी एवं वित्तीय प्रक्रिया पर थाना प्रभारी की घोषणा

**ख) नागरिक प्रतिक्रिया-** नागरिक अपनी सुरक्षा और मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी पुलिस सेवा की अपेक्षा करते हैं। पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन नागरिकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझने के साथ शुरू होता है। पुलिस थानों द्वारा दी गयी सूचना एवं नागरिकों की प्रतिपुष्टि के संयोजन से पुलिस थानों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। नागरिकों की प्रतिक्रिया के लिए चयनित थानों के कार्यक्षेत्र से 3 श्रेणियों में नागरिकों का चयन किया गया है-

**पुलिस थाना से वापस लौट रहे लोग (शिकायतकर्ता-10)** - शिकायतकर्ताओं की प्रतिक्रिया पुलिस स्टेशन में उनके समग्र अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए दर्ज की गई और वे अपने क्षेत्र में पुलिस की सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं इस बात की प्रतिपुष्टि ली गयी है।

**बाजार में दुकानदार/ व्यवसायी (25)** - थाना क्षेत्र में आने वाले बाजारों के दुकानदार उस क्षेत्र में पुलिस की सेवा के बारे में जानकारी देने के लिए प्राथमिक स्रोत हैं। बाजार में झगड़े और छीन-झपट जैसी स्थितियों को रोकने में और अगर ऐसी कोई घटना हो जाने की स्थिति में पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है इसके सबसे बड़े गवाह बाजार के दुकानदार और व्यवसायी ही हैं। दुकानदारों को इस बात का भी ज्ञान होता है कि बाजार क्षेत्र में पुलिस कितना गश्त लगाती है और इसका कितना लाभ होता है।


**थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी (25)** - बातचीत करते समय पुलिस कर्मियों की भाषा, लहजा और व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए थाना क्षेत्र के निवासियों की प्रतिक्रिया ली गयी। पुलिस द्वारा उनके क्षेत्र में रात में गश्त जैसे उचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं या नहीं, इसकी भी प्रतिपुष्टि ली गयी।

## सर्वेक्षण का क्रियान्वयन

सर्वेक्षण का कार्य व्यापक स्तर पर करने से पहले प्रश्नावली में पुनरीक्षण की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया गया। प्रायोगिक सर्वेक्षण राजस्थान और गुजरात में किया गया। सर्वेक्षण की प्रक्रिया सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सर्वेक्षकों एवं मूल्यांकन कर्ताओं को सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया था। कुल मिलाकर, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, लगभग 60 मूल्यांकन कर्ताओं को परियोजना की अवधारणा, प्रश्नावली, सर्वेक्षण पद्धति, तकनीकी अनुप्रयोग और अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता से संपर्क करने के तौर-तरीकों पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने पर, सर्वेक्षकों एवं मूल्यांकन कर्ताओं को बिना किसी विलंब के सर्वेक्षण के लिए भेजा गया।

## मूल्यांकन में प्राप्तांक की चरणबद्ध गणना

'अपराध आधारित' शीर्षों के लिए प्राप्तांक के निर्धारण के मामले में, रेखिक परिवर्तन की तकनीक अपनाई गई है। 'अपराध आधारित' शीर्षों के प्राप्तांक को  $S_1$  और 'प्रदर्शन आधारित' शीर्षों के स्कोर को  $S_2$  से चिह्नित किया गया।  $S_1$  और  $S_2$  के योग को  $P_1$  (भाग-1 का कुल प्राप्तांक) से चिह्नित किया गया है। भाग-2 के मूल्यांकन में भी रेखिक परिवर्तन की तकनीक अपनाई गई एवं भाग-2 के रेखिक रूप से रूपांतरित प्राप्तांक को  $P_2$  कहा गया एवं  $P_1$  को 80 प्रतिशत और  $P_2$  को 20 प्रतिशत भार देकर संपूर्ण प्राप्तांक की गणना की गई।






### 3. मुख्य अवलोकन


#### भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन

अभिलेख आधारित मूल्यांकन के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया और देश भर के सभी चयनित पुलिस थानों के प्रभारियों को भेजा गया। थानों के प्रभारियों को इस प्रारूप में मांगी गयी सूचनाओं को ट्रांसरूलरल द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों को सौंपने का निर्देश दिया गया था। थाना प्रभारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभिलेख आधारित मूल्यांकन किया गया है। अभिलेख आधारित मूल्यांकन के परिणामों को दो प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है- अपराध आधारित मूल्यांकन और प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन।



अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की तत्परता के मामले में इच्छापुर थाना, गुजरात ने उच्चतम 40 अंक प्राप्त कर चयनित पुलिस थानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इसके बाद कांगड़ा थाना, हिमाचल प्रदेश एवं निमियाँघाट, झारखंड (दोनों 40 में से 24 प्राप्तांक) का स्थान आता है। प्रदर्शन आधारित प्राप्तांक के मामले में, पाट्टपुर, ओड़िशा ने सबसे अधिक 40 प्राप्तांक हासिल किए, इसके बाद बिश्रामगंज, त्रिपुरा, एवं इच्छापुर, गुजरात (दोनों 40 में से 39 प्राप्तांक) का स्थान रहा।


### 'अपराध आधारित शीर्षे (S<sub>1</sub>)' के प्राप्तांक पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण



कम अंक  अधिक अंक




### 'प्रदर्शन आधारित शीर्षा (S2)' के प्राप्तांक पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण




कम अंक  अधिक अंक 

**शीर्ष-1: अपराध की रोकथाम**

इस शीर्ष के तहत, पुलिस थानों के प्रदर्शन का आकलन हथियार एवं विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन (और इसी तरह के अन्य अपराध जिनमें 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान हो), जुआ, अवैध शराब, ड्रग्स, इत्यादि का पता लगाने, जब्ती और गिरफ्तारी में पुलिस के सक्रिय भागीदारी के आधार पर सकारात्मक अंक देकर किया गया। यह पाया गया कि वर्ष 2023 के दौरान इस शीर्ष के तहत औसतन प्रति पुलिस स्टेशन लगभग 100 मामले दर्ज किए गए हैं। इस शीर्ष के तहत श्रेष्ठ दस पुलिस स्टेशनों द्वारा प्राप्त सापेक्ष स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

**अपराध की रोकथाम और अग्रसक्रिय उपाय****शीर्ष-2: निवारक कार्रवाइयां**

इस शीर्ष के तहत मूल्यांकन ज्यादातर निवारक कार्रवाइयों से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110, 122 और 151 के तहत आदेशों के निष्पादन के लिए पुलिस स्टेशनों को अंक प्रदान किए गए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, गुंडा अधिनियम, मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सकारात्मक अंक दिए गए हैं। इस शीर्ष में औसतन प्रति थाने में लगभग 425 मामले पाए गए।

**निवारक कार्रवाइयां**




**शीर्ष-3: वारंटों का निष्पादन**

इस शीर्ष के तहत विभिन्न प्रकार के वारंटों जैसे कि स्टैंडिंग वारंट, गिरफ्तारी वारंट, घोषित अपराधी का वारंट इत्यादि के निष्पादन के आधार पर अंक दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक मामले में, यदि गिरफ्तार व्यक्ति किसी अन्य पुलिस स्टेशन में वांछित था, तो अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। इस शीर्ष के तहत निष्पादित आदेशों की प्रति पुलिस थाना औसत संख्या लगभग 302 पायी गई है।


**वारंटों का निष्पादन****शीर्ष-4: पुराने मामलों का निपटान**

इस शीर्ष के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(8) और धारा 299 के तहत प्रत्येक मामले को निपटाने के लिए सकारात्मक अंक दिए गए हैं। हालांकि, इसी शीर्ष के तहत वर्ष 2021 में किसी भी नए मामले के जुड़ने से थानों को नकारात्मक अंक देने का भी प्रावधान भी है। यह देखा गया कि प्रति थाने में औसतन 30 पुराने मामलों का निपटान किया गया और साथ ही साथ 9 नया मामला जुड़ा है। इस शीर्ष में आरोपपत्रित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मामले में प्रति थाने में लगभग 8 व्यक्ति और नये आरोप पत्र में शामिल व्यक्तियों की संख्या लगभग 15 है।

**पुराने मामलों का निपटान**

**शीर्ष-5: केस अधिकारी योजनान्तर्गत मामलों में दोष-सिद्धि**

दोष-सिद्धि उपरांत सजा के वर्षों के आधार पर पुलिस थानों को अंक प्रदान किए गए। मामलों की संगीनता को महत्व देने के लिए सजा के वर्ष जितने अधिक थे, उतने ही अधिक अंक प्रदान किये गए। दोष-सिद्धि न साबित होने की स्थिति वाले मामले के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान किया गया। दोष-सिद्धित मामलों की औसत संख्या लगभग 52 एवं ऐसे मामलों में 55 व्यक्ति प्रति थाना पाई गई। निर्दोष अथवा दोषसिद्धि न साबित होने के औसतन लगभग 16 मामले एवं 23 व्यक्ति प्रति थाना पाया गया।

**केस अधिकारी योजनान्तर्गत मामलों में दोष-सिद्धि****शीर्ष-6: कानून और व्यवस्था की स्थिति**

जिन थाना क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थितियों के मामलों के निवारण के लिए पुलिस अधीक्षक या उनसे उच्च अधिकारियों को घटनाओं में शामिल होना पड़ा, वैसे थानों ने नकारात्मक अंक प्राप्त किए। यह देखा गया है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति केवल 5 प्रतिशत थानों में ही उत्पन्न हुई। अधिकांश पुलिस थानों (95%) में वर्ष 2023 के दौरान कानून-व्यवस्था की ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसमें उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी हो।

**कानून और व्यवस्था की स्थिति**



**शीर्ष 7 और 8: एसीबी द्वारा पकड़े गए अधिकारी एवं निलंबन**

इन शीर्षों के अंतर्गत भी केवल नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। ACB द्वारा पकड़े हुए कर्मियों के प्रत्येक मामले और निलंबन के प्रत्येक मामले के लिए, नकारात्मक अंक प्रदान किये गए। ACB द्वारा पकड़े हुए कर्मियों के मामले में किसी भी थाने से किसी के पकड़े जाने की सूचना नहीं मिली। हालांकि निलंबन के मामले में यह पाया गया कि 5 थानों के कुल 9 कर्मियों का निलंबन हुआ है।

**निलंबित कर्मियों की संख्या**

नासरीगंज	1
बोर्दुमसा	1
येलहंका टाउन	2
मुलुंड	2
राजपुरा	3

**शीर्ष 9-19: प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन**

इन शीर्षों के अंतर्गत पुराने प्रकरणों के निस्तारण, बलात्कार एवं कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़े अपराध के मामलों में त्वरित आरोप-पत्र, चोरी के माल की वसूली, सम्पत्ति अपराधों का पता लगाने, शीघ्र सत्यापन (पासपोर्ट, शस्त्र, सेवा आदि के लिए), दुर्घटनाओं की दर (पिछले वर्ष की तुलना में), मालखाना संबंधित मामले के निपटान की दर, लंबित मामलों की दर, सामुदायिक संपर्क समूह (सीएलजी) की बैठक और झूठी प्रविष्टियां के आधार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। इन मानदंडों पर बेहतर अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष पुलिस स्टेशनों को उनके प्रदर्शन के सापेक्ष क्रम में नीचे दर्शाया गया है।


**प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन (S2- शीर्ष ९-१९)**

पाट्टपुर	100.0
बिश्रामगंज	98.4
इच्छापोर	96.7
कासा	83.6
महिला थाना, लेह	78.7
इब्राहिमपुर	75.4
टेक्कलकोट	73.8
धारकोट	73.8
राजीव नगर	70.5
अमिनी	67.2

**भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन****पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा और नागरिकों में सहजता**

पुलिस थाने के बुनियादी ढांचे और नागरिकों को पुलिस से सेवा लेने में सहजता का आकलन करते समय, आगंतुकों के साथ-साथ पुलिस स्टेशन के कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। विश्रामालय (बैरक), पुलिस स्टेशन परिसर और 092Dवन, लॉक-अप, भोजनालय, अभिलेख और लिखित पत्र भंडारण, थाना की सुरक्षा, शौचालय और सफाई कर्मचारी आदि जैसे बुनियादी ढांचे के लिए मूल्यांकन किया गया है।



**पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा और नागरिकों में सहजता आधारित  
मूल्यांकन**







थाना की सेवा लेने में नागरिकों की सहजता

पुलिस कर्मियों के लिए विश्रामालय




परिसर और इमारत


हवालात




भोजनालय




अभिलेखों का भण्डारण



थाना की सुरक्षा के इंतज़ाम




शौचालय सफाई की स्थिति








## नागरिकों की प्रतिक्रिया

### पुलिस स्टेशन से वापस लौट रहे लोग (शिकायतकर्ता)











## नजदीकी बाजार में दुकानदार/ व्यवसायी










## थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी









## 4. उत्कृष्ट पुलिस थाने



**#2**  
पाट्टपुर

गंजाम  
ओडिशा



**#1**  
इच्छापोर

सूरत  
गुजरात



**#3**  
निमियाँघाट

गिरिडीह  
झारखंड



**#4**  
डाबड़ी  
द्वारका  
दिल्ली

आलतूर  
पालक्काड़  
केरल



**#5**



**#6**  
महिला थाना  
लेह  
लद्दाख

राजीव नगर  
पटना  
बिहार



**#7**



**#8**  
शालीबंदा  
हैदराबाद सिटी  
तेलंगाना

अमिनी  
लक्षद्वीप  
लक्षद्वीप



**#9**





**#10**

टेक्कलकोट  
बेल्लारी, कर्नाटक



# #1 इच्छापोर, गुजरात










# #2 पाट्टपुर, ओडिशा









# #2 पाट्टपुर, ओडिशा









### #3 निमियाँघाट, झारखंड





### #3 निमियाँघाट, झारखंड





## राज्यवार सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानें

क्र.	थाना का नाम	ज़िला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	बांबूपलैट	दक्षिण अंडमान	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
2	कोतपल्ली	नंदयाल	आंध्र प्रदेश
3	बोर्दुमसा	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश
4	डिगबोई	तिनसुकिया	असम
5	राजीव नगर	पटना	बिहार
6	मणि माजरा	चंडीगढ़	चंडीगढ़
7	बारमकेला	सारंगढ़-बिलाईगढ़	छत्तीसगढ़
8	डाबड़ी	द्वारका	दिल्ली
9	नानी दमन	दमन	दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव
10	सलिगांव	उत्तर गोवा	गोवा
11	इच्छापोर	सूरत	गुजरात
12	बल्लभगढ़	फरीदाबाद	हरियाणा
13	कांगड़ा	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
14	अखनूर	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
15	निमियाँघाट	गिरिडीह	झारखण्ड
16	टेक्कलकोट	बेल्लारी	कर्नाटक
17	आलतूर	पालक्काड़	केरल
18	महिला थाना लेह	लेह	लद्दाख
19	अमिनी	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
20	बम्होरीकला	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश
21	कासा	पालघर	महाराष्ट्र
22	लुमडेंगजरी	खासी हिल्स ईस्ट	मेघालय
23	वैवकॉन	आइजोल	मिजोरम
24	तुएनसांग	तुएनसांग	नागालैण्ड
25	पाट्टपुर	गंजाम	ओडिशा
26	कोडुचेरी	कराईकल	पुडुचेरी
27	जमालपुर	लुधियाना	पंजाब
28	किशोरपुरा	कोटा शहर	राजस्थान
29	सदर थाना	गंगटोक	सिक्किम
30	मुथुपेट्ट	तिरुवरूर	तमिलनाडु
31	शालीबंदा	हैदराबाद सिटी	तेलंगाना
32	बिश्रामगंज	सिपाहीजाला	त्रिपुरा
33	इब्राहिमपुर	अम्बेडकरनगर	उत्तर प्रदेश
34	आईटीआई काशीपुर	उद्यम सिंह नगर	उत्तराखंड
35	टिटागढ़	बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय	पश्चिम बंगाल



# अनुलग्नक

## अनुलग्नक-1: राज्यवार चयनित पुलिस थानों की सूची

क्र.	थाना का नाम	जिला	राज्य
1	बांबूपलैट	दक्षिण अंडमान	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2	अनंतगिरि	अल्लूरी सीताराम राजू	आंध्र प्रदेश
3	बी. आत्मकुर	नंदयाल	आंध्र प्रदेश
4	कोतपल्ली	नंदयाल	आंध्र प्रदेश
5	बोर्डुमसा	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश
6	मियाओ	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश
7	बागजान	तिनसुकिया	असम
8	डिगबोई	तिनसुकिया	असम
9	फूलवरिया	बेगूसराय	बिहार
10	राजीव नगर	पटना	बिहार
11	नासरीगंज	रोहतास	बिहार
12	मणि माजरा	चंडीगढ़	चंडीगढ़
13	बारमकेला	सारंगढ़-बिलाईगढ़	छत्तीसगढ़
14	सेजबहार	रायपुर	छत्तीसगढ़
15	नानी दमन	दमन	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली
16	हर्ष विहार	उत्तर पूर्व	दिल्ली
17	डाबड़ी	द्वारका	दिल्ली
18	सांगेम	दक्षिण गोवा	गोवा
19	सालिगाओ	उत्तर गोवा	गोवा
20	इच्छापोर	सूरत	गुजरात
21	नंदेसरी	वडोदरा शहर	गुजरात
22	रावपुरा	वडोदरा शहर	गुजरात
23	बल्लभगढ़ शहर	फरीदाबाद	हरियाणा
24	सदर रतिया	फतेहाबाद	हरियाणा
25	कांगड़ा	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
26	ज्वालामुखी	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
27	अखनूर	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
28	राजगंज	धनबाद	झारखंड
29	निमियाँघाट	गिरिडीह	झारखंड
30	ओरमांझी	रांची	झारखंड
31	येलहंका न्यू टाउन	बेंगलुरु शहर	कर्नाटक
32	हचोली	बेल्लारी	कर्नाटक
33	टेक्कलकोट	बेल्लारी	कर्नाटक
34	आलत्तूर	पालक्काड़	केरल
35	कुंबला	कासरगोड	केरल
36	महिला थाना लेह	लेह	लद्दाख
37	अमिनी	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
38	चिरुला	दतिया	मध्य प्रदेश
39	जतारा	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश
40	बम्होरी कला	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश
41	मुलुंड पश्चिम	बृहन्मुंबई शहर	महाराष्ट्र

## अनुसूचित दुकानें 2024

क्रं.	थाना का नाम	जिला	राज्य
42	कासा	पालघर	महाराष्ट्र
43	विमानतल (एयरपोर्ट)	पुणे शहर	महाराष्ट्र
44	महिला थाना	बिष्णुपुर	मणिपुर
45	महिला थाना	थौबल	मणिपुर
46	सदर थाना	खासी हिल्स पूर्व	मेघालय
47	लुमडेगजरी	खासी हिल्स पूर्व	मेघालय
48	वैवकॉन	आइजोल	मिजोरम
49	लुंगलेई थाना	लुंगलेई	मिजोरम
50	तुएनसांग	तुएनसांग	नागालैंड
51	नगिनिमोरा	मोन	नागालैंड
52	पत्तापुर	गंजाम	ओडिशा
53	धारकोट	गंजाम	ओडिशा
54	कोट्टुचेरी	कराईकल	पुदुचेरी
55	जमालपुर	पीसी लुधियाना	पंजाब
56	खन्नौरी	संगरूर	पंजाब
57	कैथूनीपोल	कोटा शहर	राजस्थान
58	किशोरपुरा	कोटा शहर	राजस्थान
59	पल्लू	हनुमानगढ़	राजस्थान
60	पाकयोग	पाकयोग	सिक्किम
61	सदर थाना	गंगटोक	सिक्किम
62	मुथुपेट्टई	तिरुवरूर	तमिलनाडु
63	मंगलमेडु	पेरंबलूर	तमिलनाडु
64	थेनिलाई	करूर	तमिलनाडु
65	शामिरपेट	रंगा रेड्डी	तेलंगाना
66	पेरूर	मुलुगु	तेलंगाना
67	शालीबंदा	हैदराबाद शहर	तेलंगाना
68	बिश्रामगंज	सिपाहीजाला	त्रिपुरा
69	बिशालगढ़ महिला थाना	सिपाहीजाला	त्रिपुरा
70	राजपुरा	संभल	उत्तर प्रदेश
71	दिडौली	अमरोहा	उत्तर प्रदेश
72	इब्राहिमपुर	अम्बेडकर नगर	उत्तर प्रदेश
73	आईटीआई काशीपुर	ऊधम सिंह नगर	उत्तराखंड
74	विकास नगर	देहरादून	उत्तराखंड
75	गोलाबाड़ी	हावड़ा पीसी	पश्चिम बंगाल
76	टिटागढ़	बैरकपुर पीसी	पश्चिम बंगाल

\* चयनित, पर मूल्यांकन एवं सर्वे नहीं किया गया



## अनुलग्नक -2: पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा और नागरिकों में सहजता के लिए प्रश्रावली

अनुभाग	उपधारा	प्रश्न
अतिरिक्त सुविधाएं	सुविधाएं	विकलांग अनुकूल सुविधाएं- क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई रैंप उपलब्ध है?
		पावर बैकअप- क्या पुलिस स्टेशन में पावर बैक अप सिस्टम है?
	उपयुक्तता	क्या पुलिस स्टेशन में मनोरंजक गतिविधियों/खेल के मैदान/जिम के लिए सुविधा है?
	पैट्री	पेयजल सुविधाएं- क्या कर्मचारियों और आगंतुक के लिए पीने का पानी उपलब्ध है?
पेयजल सुविधाएं- क्या आर.ओ. / डिस्पेंसर का रखरखाव प्रयास ढंग से हो रहा है?		
चाय/कॉफी सुविधाएं- क्या चाय/कॉफी की सुविधाएं/पैट्री सेवाएं उपलब्ध हैं?		
पुलिस कर्मचारियों की सुगम्यता और व्यवहार		क्या सभी पुलिसकर्मी ड्रेस कोड के अनुसार पूरी वर्दी पहने हुए हैं?
		क्या पुलिस वाले जनता के प्रति सजग हैं?
		क्या पुलिसकर्मी शिकायतकर्ताओं के साथ आदर एवं विनम्र भाव से पेश आ रहे हैं?
बैरक	बैरक की स्वच्छता और सुविधाएं	क्या थाने में बैरक उपलब्ध हैं?
		क्या बैरक में बिस्तर साफ और अच्छी तरह से लगे हैं?
		क्या कमरे उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ उपलब्ध हैं?
		क्या कमरे ठीक से हवादार हैं?
		क्या दीवारों और छत गन्दगी और नमी से मुक्त हैं?
		क्या बैरकों के लिए शौचालय उपलब्ध हैं?
		क्या कमरों में कूलर/एसी जैसी कूलिंग सुविधा उपलब्ध है?
		क्या फर्श साफ रखा गया है?
	बैरक के शौचालय की सफाई	क्या मच्छर भगाने वाले यंत्र कमरे में उपलब्ध और कार्य कर रहे हैं?
		क्या बैरक समग्र रूप से अच्छा है?
		क्या मूत्रालय साफ हैं यानी दाग, कूड़ा या अन्य कचरा नहीं है?
		क्या दीवारों और छत गन्दगी और नमी से मुक्त हैं?
		क्या टॉयलेट सीट क्षेत्र साफ है यानी कोई दाग, कूड़ा या अन्य कचरा नहीं है?
		क्या शौचालयों में दुर्गंध आ रही है?
		क्या शौचालय में प्रवाही जल उपलब्ध है?
		क्या शौचालय हवादार है?
		क्या शौचालय में पर्याप्त रोशनी है?
		क्या वाशरूम में फ्लश है और क्या यह काम करता है?
		क्या कोई वॉश बेसिन क्षेत्र मौजूद है?
क्या हाथ धोने के लिये साबुन उपलब्ध है?		

अनुभाग	उपधारा	प्रश्न
परिसर क्षेत्र का बुनियादी ढांचा और सफाई	परिसर क्षेत्र की सफाई	क्या परिसर क्षेत्र में कूड़ेदान रखे गए हैं?
		क्या कूड़ेदान ऊपर तक भरा दिख रहा है?
		क्या गीले कचरे और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान उपलब्ध है?
		क्या प्रवेश द्वार पर आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित है?
		चारदीवारी की सुरक्षा संबंधी स्थिति कैसी है?
		क्या थाना परिसर क्षेत्र साफ है?
		क्या थाने का नाम बाहर से दिखता है
		क्या परिसर क्षेत्र में जमा हुआ पानी देखा है?
		गंध- क्या आसपास कोई दुर्गंध मौजूद है?
		खुली नालियाँ- क्या परिसर क्षेत्र में कोई खुली नालियाँ हैं?
		आगंतुकों के लिए पार्किंग- थाने में पार्किंग की क्या स्थिति है
पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा (अंदर)	पुलिस स्टेशन के अंदर साफ-सफाई	साफ-सफाई- क्या थाने में कूड़ा-करकट, सिगरेट, रैपर, धूल आदि कूड़ा-करकट है?
		स्वच्छता- क्या आप फर्श, खंभों या दीवारों पर पान, गुटखा या पक्षी के बीट देख सकते हैं?
		कूड़ेदान- क्या थाना भवन के भीतर में कूड़ेदान रखे गए हैं?
		थाने का पूरा माहौल कैसा है?
		गंध-क्या आपको कोई दुर्गंध महसूस हो रही है?
		स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियाँ- क्या स्वच्छ भारत का होर्डिंग है जिसमें कूड़ा-करकट रोकने और खुले में पेशाब करने/खुले में शौच करने से चेतावनी दी गई है?
	पुलिस स्टेशन के अंदर सुविधाएं	दीवारों- क्या इमारत की दीवारें साफ और अच्छी तरह रंगी हुई थीं?
		क्या पुलिस कर्मचारियों के लिए कुर्सी/डेस्क उपलब्ध है?
		क्या जांच अधिकारियों के लिए अलग कमरे उपलब्ध हैं?
		क्या पुलिस स्टेशन में अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे बाल कक्ष, दीवारों पर चित्र, विशेष पहलू जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक व्यायामशाला आदि मौजूद है?
		क्या थाने में अलग सम्मेलन कक्ष है?
क्या पुलिस थाने में अलग संदिग्ध/गवाह तहकीकात कक्ष है?		
क्या पुलिस स्टेशन में अलग वायरलेस और संचार कक्ष है?		
क्या कमरे में फाइलों और केस फाइलों के लिए भंडारण पेटिका है?		
क्या कमरे में पर्याप्त कूलिंग/हीटिंग की सुविधा उपलब्ध है?		
क्या मालखाना/शस्त्रागार उपलब्ध है और तालाबंद है?		
क्या फर्नीचर अच्छी स्थिति में है?		
क्या आम जनता के लिए कोई निर्दिष्ट प्रतीक्षालय उपलब्ध है?		
क्या प्रतीक्षालय में बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है?		
महिला हेल्प डेस्क- क्या थाने में अलग से महिला हेल्प डेस्क है?		



अनुभाग	उपधारा	प्रश्न
हवालात		दीवारों की स्थिति- क्या दीवारों पर अच्छी तरह से प्लास्टर और पेंट किया गया है?
		नमी - क्या दीवारों और छत बिना किसी रिसाव या नमी के हैं?
		क्या सीसीटीवी लॉक अप एरिया को कवर करता है?
		तल का विवरण-क्या फर्श को अच्छी तरह से बनाए रखा और प्लास्टर किया गया है?
		क्या पुरुष और महिला के लिए अलग लॉकअप उपलब्ध है?
		शौचालय: क्या लॉकअप में अभियुक्तों के लिए शौचालय उपलब्ध हैं?
		शौचालय - क्या शौचालय साफ हैं?
		अवांछित वस्तुएं- क्या लॉकअप का उपयोग बेकार सामग्री जैसे पुराने पंखे, टूटी कुर्सियों आदि के भंडारण के लिए किया जा रहा है?
रिकॉर्ड का रखरखाव		क्या अभिलेख एक बंद कैबिनेट में संग्रहीत हैं?
		क्या पुराने अभिलेख ऑनलाइन बनाए गए हैं?
		क्या रजिस्टर मजबूत बाइंडिंग हैं?
		क्या रजिस्ट्रों को लेबल किया गया है?
		शिकायतों को कैसे लिया जाता है? (मौखिक, लिखित या दोनों तरह से)
		क्या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है?
मेस और कैटीन क्षेत्र		क्या थाना में भोजनालय उपलब्ध है?
		क्या दीवारों और छत गन्दगी और नमी से मुक्त हैं?
		क्या कमरे में उचित वेंटिलेशन है?
		क्या कमरे में उचित प्रकाश व्यवस्था है?
		क्या मेस का फर्श साफ रखा गया है?
		क्या मेस में पंखा/ कूलर की सुविधा उपलब्ध है?
थाने की सुरक्षा	CCTV कैमरे	क्या CCTV कैमरे काम कर रहे हैं?
		कैमरों की कुल संख्या पूरे परिसर के लिए पर्याप्त है?
		क्या थाने के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं?
		क्या थाने के अन्दर सीसीटीवी कैमरे हैं?
		क्या थाने के स्वागत क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे हैं?
		डेटा बैकअप कितने समय के लिए मेंटेन किया जाता है?
		बैकअप कहाँ रखा जाता है?
	अग्नि सुरक्षा	क्या सभी तार और स्विच बोर्ड ठीक से ढके हुए, सुरक्षित हैं?
		क्या अग्निशामकों का समय-समय पर परीक्षण किया गया और वे काम कर रहे हैं?
		क्या पुलिस स्टेशन में फायर अलार्म है?
		क्या पुलिस स्टेशन में अग्नि सुरक्षा के अवसंरचना (रेत की बाल्टी, नली के पाइप, आदि) हैं?
		क्या थाने में अग्निशामक यंत्र है?
		क्या एकृत होने के लिए पुलिस थाने में जगह उपलब्ध और अच्छी तरह से प्रदर्शित है?

अनुभाग	उपधारा	प्रश्न
एसएचओ प्रश्नावली	खर्च	मांगपत्र देने के कितने महीने बाद एस.पी. ऑफिस से स्टेशनरी मिलता है?
		क्या थाने द्वारा अतिरिक्त स्टेशनरी के लिए अनुरोध करने का कोई प्रावधान है?
		क्या आपको मांगपत्र में दर्शाए गए सभी सामान मिलते हैं?
	वित्तीय स्वायत्तता	वित्तीय स्वायत्तता- क्या पुलिस स्टेशन में अग्रदाय खाता प्रणाली है?
	ईंधन	क्या आपको ईंधन आवश्यकता अनुसार प्राप्त होती है?
		ईंधन न होने के कारणवश थाना के वाहन कितने दिनों तक बेकार पड़े रहते हैं?
		मांगपत्र देने के कितने दिनों में आपको एसपी कार्यालय से फ्यूल कूपन/बजट प्राप्त होता है?
	मानव संसाधन	एचआर- कितने कर्मियों को बेसिक सीसीटीएनएस और बेसिक डेली ऑनलाइन रिपोर्ट में प्रशिक्षित किया गया है?
		एचआर- कितने कर्मियों को बुनियादी कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षित किया गया है?
		एचआर- महिला अपराध से संबंधित कानूनों में कितने कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है?
		एचआर- थाने में तैनात महिला कर्मचारियों की संख्या
		एचआर-पुलिस स्टेशन के लिए स्वीकृत महिला कर्मचारियों की संख्या
		एचआर- कितने कर्मियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है?
		नागरिक जागरूकता के लिए किए गए कार्यक्रमों की संख्या
		थाने में पदस्थापित पुरुष कर्मचारियों की संख्या
		थाने के लिए स्वीकृत पुरुष कर्मचारियों की संख्या
		आधारभूत संरचना
	मेस और बैरक- मेस में खाना कौन बनाता है?	
	मेस और बैरक- बिस्तर, बक्सा आदि की सुविधा बैरक में कौन प्रदान करता है?	
	चाय कॉफी सुविधा और सामग्री के लिए कौन भुगतान करता है?	
	पिछले साल की घोषणा	क्या पिछले वर्ष हिरासत के दौरान किसी की मृत्यु हुई है?
		क्या पिछले वर्ष के दौरान पुलिस हिरासत से भागने का कोई मामला है?
		क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है?
		हिरासत में हुई मौतों की संख्या
		पिछले वर्ष के दौरान पीसी अधिनियम के तहत आरोपित पुलिस कर्मियों की संख्या
		पुलिस हिरासत से भगोड़े कैदियों की संख्या



अनुभाग	उपधारा	प्रश्न	
एसएचओ प्रश्नावली	वाहन	स्वीकृत चौपहिया वाहनों की संख्या	
		कार्यशील चौपहिया वाहनों की संख्या	
		स्वीकृत दुपहिया वाहनों की संख्या	
		कार्यशील दोपहिया वाहनों की संख्या	
		कितने वाहनों में जीपीएस टैग हैं?	
		क्या जीपीएस टैग काम कर रहे हैं?	
		RFID टैग कितने वाहनों में हैं?	
		क्या RFID टैग काम कर रहे हैं?	
	कानून व्यवस्था स्थिति	और की	पिछले एक महीने में कानून और व्यवस्था की स्थिति की संख्या
			पिछले 24 घंटों में गिरफ्तारियां को क्या कोई बोर्ड प्रदर्शित कर रहा है?
			क्या आपके स्टेशनों में ऑन कॉल शिकायत प्रणाली मौजूद है और काम कर रही है?
			कॉल सेंटर के माध्यम से कितनी शिकायतें दर्ज हुईं?
			शिकायत के लिए किस तरह की कार्रवाई की गई है?
			क्या हिस्ट्रीशीट के लिए कोई रिकॉर्ड रखा जाता है?
शौचालय और सफाई कर्मचारी	हाउसकीपिंग और कार्मिक स्वच्छता	क्या हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध है?	
		क्या हाउसकीपिंग स्टाफ की उपस्थिति बनी रहती है?	
		क्या हाउसकीपिंग स्टाफ वर्दी पहन रहा है?	
		क्या हाउसकीपिंग स्टाफ सुरक्षात्मक गियर यानी दस्ताने और मास्क, जूते का उपयोग करते हैं?	
		क्या कर्मचारियों के पास उपयुक्त सफाई उपकरण हैं अर्थात (झाड़ू, धूल की टोकरियाँ, पोछा, और बाल्टी)?	
		क्या शौचालय के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ नियुक्त है?	
		क्या दैनिक सफाई जांच सूची उपलब्ध है?	
		क्या हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए जगह उपलब्ध है?	
		क्या दीवारों और छत साफ हैं यानी कोई जाला, दाग आदि नहीं हैं?	
		क्या शौचालय में तिलचट्टे या चूहे दिखाई दे रहे हैं?	
		क्या थाने में शौचालय उपलब्ध हैं?	
		क्या पुलिस थाने में पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय हैं?	
		क्या शौचालय में प्रवाही जल उपलब्ध है?	
		शौचालय और सफाई कर्मचारी	हाउसकीपिंग और कार्मिक स्वच्छता
क्या वाशरूम में फ्लश काम कर रहा है?			
क्या टॉयलेट दाग, कूड़े या अन्य कचरे के बिना साफ है?			
क्या शौचालय हवादार है?			
क्या शौचालय अच्छी तरह से प्रकाशित है?			
क्या शौचालयों में दुर्गंध आती है?			
क्या वाश बेसिन क्षेत्र मौजूद है?			
शौचालय के फर्श की स्थिति कैसी है?			
वाश बेसिन की हालत कैसी है?			

### अनुलग्नक -3: दुकानदारों, निवासियों और शिकायतकर्ताओं के लिए प्रश्नावली

उत्तरदाता श्रेणी	मुख्य सवाल
रिहायशी इलाकों के लोग	क्या पुलिस आपके क्षेत्र को निरंतर निगरानी में रखती है?
	क्या आपके क्षेत्र में अपराधों को रोकने एवं सुलझाने में पुलिस सक्रिय है?
	अपराध की सूचना मिलने के बाद आपके क्षेत्र में पुलिस के पहुंचने का प्रतिक्रिया समय क्या है?
	क्या आपके क्षेत्र में आपसे कभी रिश्तत की मांग की गई है? (राशि और नियमितता)
	क्या आपने कभी पुलिस से शिकायत दर्ज करने की कोशिश की है?
	क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है?
	ऑनलाइन शिकायतों का निवारण करने में पुलिस को कितना समय लगता है?
	पुलिस से संपर्क करने का सबसे आसान तरीका क्या है?
	क्या आप अपने क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं?
	क्या आपको लगता है कि पुलिस लोगो की मदद करती है?
	क्या बातचीत के दौरान कोई जाति, धर्म, क्षेत्र (स्थानीय/गैर-स्थानीय) या स्थिति पूर्वाग्रह स्पष्ट था?
	पिछले एक साल में क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में पुलिस अधिक प्रभावशाली हो गई है?
	आप पुलिस को किसी अपराध या शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए कितना सहज और आश्वस्त महसूस करते हैं?
	क्या आपने पिछले 2 महीनों में आस-पास के क्षेत्र में चोरी, छीना छपटी, सेंधमारी आदि का कोई मामला देखा है?
	पिछले 6 महीनों में क्या आपने किसी दुर्घटना के लिए पुलिस से संपर्क किया है?
	क्या जेब काटने/छीना छपटी/विवाद जैसे अपराध होने पर पुलिस सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है?
	क्या आपने अपने क्षेत्र में बर्किंग गतिविधियों को देखा है? यदि हाँ, तो कब देखा?
	पुलिस थाने पर क्या आपको समग्र रूप से साफ़-सफाई दिखाई पड़ी?
	अपनी पिछली मुलाकात की तुलना में क्या आपने पुलिस संस्कृति या थाने पर व्यवस्था में कोई सुधार देखा है?
	पुलिस के साथ अपने समग्र अनुभव और उन सुझावों के बारे में बताएं जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं
बाज़ार में दुकानदार	क्या आपके क्षेत्र में पुलिस गश्त नियमित रूप से हो रही है?
	क्या आप अपने क्षेत्र के बीट कांस्टेबलों से अवगत हैं और क्या वे आपसे बातचीत करते हैं?
	क्या आपने कभी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की है?
	क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है?
	ऑनलाइन शिकायतों का निवारण करने में पुलिस को कितना समय लगता है?
	पुलिस से संपर्क करने का सबसे आसान तरीका क्या है?
	क्या आपके क्षेत्र में आपसे कभी रिश्तत की मांग की गई है? (राशि और नियमितता)



संस्कृत पुलिस एजें 2024

उत्तरदाता श्रेणी	मुख्य सवाल
	आप अपने क्षेत्र में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?
	क्या आपको लगता है कि पुलिस लोगों की मदद करती है?
	क्या बातचीत के दौरान कोई जाति, धर्म, क्षेत्र (स्थानीय/गैर-स्थानीय) या हैसियत संबंधित भेदभाव प्रतीत हुआ था?
	क्या एक महिला/लड़की के रूप में आपके प्रति कोई लैंगिक भेदभाव दिखाया गया था?
	क्या आपने पिछले 6 महीनों में बाजार क्षेत्र में चोरी, छीना-छपटी, सेंधमारी आदि का कोई मामला देखा है?
	क्या बाजार में पुलिस भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है?
	क्या बाजार में कोई अनधिकृत स्टॉल होने पर पुलिस कोई आवश्यक कार्रवाई करती है?
	क्या आप शिकायत/एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे?
	क्या आप अपनी प्राथमिकी/शिकायत दर्ज करा पाये?
	शिकायत/एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया कितनी आसान या कठिन थी?
	क्या आपने आने से पहले इंटरनेट के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया था?
	अगर हाँ, तो क्या ऑनलाइन शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई?
	ऑनलाइन शिकायत की सुनवाई करने में पुलिस को कितना समय लगा?
	क्या आपको प्राथमिकी/शिकायत की प्रति (पुष्टिकरण) मोबाइल/फोन/किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त हुई है?
	क्या प्राथमिकी/शिकायत को कमजोर करने का पुलिस द्वारा कोई प्रयास किया गया था?
	क्या आपको शिकायत की प्रति दी गई थी?
	क्या पुलिसकर्मी ने नेम प्लेट लगा रखी थी?
जनता की प्रतिक्रिया- पुलिस थाने से लौट रहे लोग	क्या पुलिस ने रिश्तत की कोई मांग की थी?
	महिला शिकायतकर्ता के मामले में क्या थाने में शिकायत में मदद करने के लिए कोई महिला पुलिसकर्मी थी?
	क्या एक महिला/लड़की के रूप में आपके प्रति कोई लैंगिक लिंग भेदभाव दिखाया गया था?
	क्या बातचीत के दौरान कोई जाति, धर्म, क्षेत्र (स्थानीय/बाहरी) या हैसियत पूर्वाग्रह स्पष्ट था?
	क्या पुलिस आपकी शिकायत पर ध्यान दे रही थी?
	क्या स्टाफ विनम्र और सम्मानजनक था?
	क्या पुलिस कर्मियों ने आपकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया है?
	क्या आपको थाने में पूरी सफाई अच्छी लगी?
	क्या आप अपने क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं?
	क्या आपने अपने क्षेत्र में बर्किंग गतिविधियों को देखा है? यदि हाँ, तो कब देखा?
	अपनी पिछली मुलाकात की तुलना में क्या आपने पुलिस संस्कृति या थाने पर व्यवस्था में कोई सुधार देखा है?



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय